प्रारुप—30

परियोजना का नाम :— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव

FORM-1

(for linear projects)

Government of Uttarakhand

Office of the District Collector-uttarkashi

Dated-19/8/2015

TO WHOWSOEVER IT MAY CONCERN

In complinance of the Ministry of Environment and Forests (MOEF), Government of India's letter No 11-9/98-FC(pt) dated 3rd August 2009 wherein the MoEF issued guidelines on submission of evidences for having initiated and completed the process of settlement of rights under the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Rocognition of Forest Rights) Act, 2006 ('FRA', for short) on the forest land proposed to be diverted for non-forest purposes read with MoEF's letter dated 5th February 2013 wherein MoEF issued certain relaxation in respect of linear projects, it is certified that **1.525 hectares** of forest land proposed to be diverted in favour of **construction division public works deparment...chinyalisour uttarkashi** for **road construction in uttarkashi district** falls within jurisdiction of rountal. village (s) in **chinyalisour** tehsils.

It is further certified that:

(a) the complete process for identification and settlement of rights under the FRA has been carried out for the **entire 1.525 hectares** of forest area proposed for diversion. A copy of records of all consulations and meetings of the Forest Rights committee(s), Gram Sabha(s) sub- Division laevel Committee(s) and the District Level Committee are enclosed as annexure **23 to 23.2** annexure

(b) the diversion of forest land for facilities managed by the Gvoernment as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the Grama Sabhas have given their consent to it;

(c) the proposal does not involve rcognised rights of Primitive Tribal Groups and Pre-agricultural communities.

Encl : As above.

(Indudhar Baurai)

District Magistrate-uttarkashi

प्रारुप–30.4

दिनांक 17/03/15 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खाण्ड गाँव

योजना का नाम– राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	गुमानू लाल	गुमानू लाल
2	बर्फू लाल	बर्फू लाल
3	रमेश सिंह	रमेश सिंह
4	भरत सिंह	[signature]
5	राजेन्द्र सिंह	[signature]
6	जयवीर सिंह	जयवीर सिंह
7	मोहन लाल	मोहन लाल
8	देवा सिंह	[signature]
9	गंभीर पाल प्रधान	[signature]

प्रधान ग्राम पंचायत खाण्ड
चिन्यालीसौड उत्तरकाशी

प्रारुप–30.4

दिनांक 17/03/15 को ग्राम सभा की बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत खाण्ड गांव

योजना का नाम– राज्य योजना के अर्न्तगत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य।

क्रमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
01	रणवीर सिंह चौहान	[illegible]
02	जगदीश सिंह गुसांई	[illegible]
03	बलवीर सिंह राणा	[illegible]
04	शान्ति सिंह राणा	शान्ती
05	मोहन लाल	मोहन लाल
06	कमल सिंह राणा	
07	विक्रम सिंह चौहान	विक्रमसिंह
08	किशन सिंह चौहान	किशन सिंह
09	विनोद कुमार	विनोद कुमार
10	रतन सिंह	[illegible]
11	जयवीर सिंह	[illegible]
12	हुकम सिंह	हुकमसिंह
13	राजमन सिंह	[illegible]
14	उम्मेद सिंह	[illegible]
15	अयुनी पाल सिंह	[illegible]
16	सतपाल सिंह	सतेन्द्र पाल सिंह
17	राजेन्द्र सिंह	[illegible]
18	खुशपाल सिंह	[illegible]
19	भगवान सिंह	भगवानसिंह
20	विजेन्द्र सिंह	[illegible]
21	शान्ति सिंह	[illegible]
22	अतर सिंह	अतरसिंह
23	मदन सिंह	मदनसिंह
24	रणमा सिंह	[illegible]
25	अर्जुन सिंह	अर्जुनसिंह
26	प्रेमलाल	प्रेमलाल
27	उत्तम लाल	[illegible]
28	साधू लाल	[illegible]
29	उपेन्द्र सिंह	[illegible]
30	मुलायम सिंह	[illegible]

प्रधान ग्राम पंचायत खाण्ड
वि० ख० चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

प्रारुप–30.1

OFFICE OF THE DEPUTY COMMISSIONER
DISTRICT UTTARKASHI (U.K.)

Proceeding of the meeting of the district level committee constituted under schedule tribes & other Traditional forest Dwellers (recognition of rights) act (FRA). 2006.

A meeting of the district level committee of.uttarkhashi..district, constituted under FRA. 2006 was held under the chairmanship of Mr/ Indudhar Baurai I.A.S district magistrate uttarkashi on dated ..19/8/2015........ .at uttarkashi. in which application claiming rights in forest land area measuring **1.525. hect** for the construction of khand gaon to Rountal motor Road forest land under FRA. 2006 of the following applicant duly processed and recommended by the sub divition level committee of chinyalisaur sub division were discussed to consider the same for admission by the district level committee.

After scrutiny of the documents and detailed discussions, no objection/claims were found to have been made & hence District level committee recommend the above case for diversion of land for the said purpose.

Place;...uttarkashi............
Dated:..19/8/2015

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-uttarkashi

जिलाधिकारी
उत्तरकाशी

It is cetified that –Minutes of meeting of Khand gaon to Rauntal road (Length 4.756 Km.) Regarding FRA is as following:-

Sr. no.		Remarks
(a)	The complete process for identification and settlemet of rights under the FRA has been carried out the entire **1.525 Het** of forest area proposed for deversion. A cppy of record of all consultaions and meeting of Forest Right committee (S), Gram Sabha (s)] Sub division level Committee are cnlosed as annexure.	Yes copy of records attached as there are on habitants belonging to scheduled tribes and tther traditional Forest Dwellers.
(b)	The diversion of forest land for facilities managed by the Government as required under section 3 (2) of the FRA have been completed and the villagers have given consent to it.	Yes copy records attached as are no habitants belonging to scheduled tribes and other traditional forest Dwellers. No objection certificate of concernes villages regarding construction of aforesaid Mothr road attached.
(c)	The proposal does not immvolce recoginiged rights of primitive Tribal groups and pre-agricultural communtites.	Yes copy of recores attached and there are no habitants belonging to sceduled tribes and other traditional forest dwellers.

(Indudhar Baurai)
District Magistrate-cum-chairman
District Level Committe
Uttarkashi

कार्यालय जिलाधिकारी उत्तरकाशी

जिला स्तरीय समिति, जिला–उत्तरकाशी।

आज दिनांक 19/8/2015 को जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के ग्राम खाण्ड गांव से रौंतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 1.525 हे0 वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत जिलाधिकारी द्वारा गठित जिलास्तरीय समिति ।

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री इन्दुधर बौडाई	जिलाधिकारी **उत्तरकाशी**	[signature] जिलाधिकारी उत्तरकाशी
2	श्री मदन लाल कोषवाल	जिला समाज कल्याण अधिकारी **उत्तरकाशी।**	[signature]
3	श्री विजय बहादुर	प्रभागीय वनाधिकारी **उत्तरकाशी**	[signature]
4	श्री जितेन्द्र सिहं राणा	जिला पंचायत सदस्य **टकनौर**	[signature]
5	श्रीमती अनिता गुसांई	जिला पंचायत सदस्य **कन्सेंण**	[signature]
6	श्री अनिल कुमार	जिला पंचायत सदस्य डुण्डा	[signature]

प्रारूप 30.3

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे0 आरक्षित वन भूमि व नाप भूमि 2.3625 हे0 भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

वनाधिकार अधिनियम 2006 के अन्तर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र

ग्राम पंचायत रौंतल
तहसील चिन्यालीसौड़ जिला उत्तरकाशी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

उत्तराखण्ड में जनपद उत्तरकाशी के अन्तर्गत खाण्ड गांव से रौंतल परियोजना के निर्माण हेतु (1.525 हे0) आरक्षित वन भूमि, ——— हे0 सिविल सोयम भूमि—— हे0, वन पंचायत भूमि ——— हे0) अर्थात कुल 1.525 हे0 वन भूमि का लोक निर्माण विभाग चिन्यालीसौड़/संस्था के पक्ष में भारत सरकार, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा प्रत्यावर्तित करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया।

उक्त प्रकरण के विषय में ग्राम पंचायत रौंतल द्वारा दिनांक 16/3/015 को सम्पन्न ग्राम सभा/ग्राम पंचायत की बैठक में प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा आवेदित वन भूमि के संबंध में अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने हेतु विस्तृत चर्चा की गई। यह कि वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्राविधानों के तहत् आवेदित वन भूमि में आदिवासी अथवा किसी गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य है अथवा नहीं। ' उपस्थित सभी ग्रामवासियों द्वारा स्पष्ट किया गया कि उक्त वन भूमि में किसी भी आदिवासी अथवा गैर आदिवासी का कब्जा/कृषि कार्य नहीं किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त परियोजना के निर्माण हेतु आवेदित वन भूमि पर ग्रामवासियों के परम्परागत अधिकारों का हनन नहीं हो रहा है।

चर्चा के उपरान्त ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया /प्रस्ताव पारित किया गया कि ग्राम रौंतल गांव के ग्रामवासियों को उक्त वन भूमि लोक निर्माण विभाग प्रयोक्ता एजेन्सी को परियोजना के निर्माण हेतु दिये जाने पर कोई आपत्ति नहीं है।

प्रमाणित किया जो सत्य एवं सही है।

16-3-15
ग्राम पंचायत सचिव

प्रधान ग्राम पंचायत खण्ड ... चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)
19/3/15
ग्राम प्रधान खण्ड

16-3-15
ग्राम प्रधान रौंतल

प्रारुप–30.4

दिनांक 16/3/15 को ग्राम सभा की सम्पन्न बैठक की उपस्थिति

ग्राम पंचायत रौंतल

परियोजना का नामः– राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

कमांक	ग्राम सभा में उपस्थित वरिष्ठ ग्रामवासियों के नाम	हस्ताक्षर
1	चन्द्रमणि बिजलवाण S/o महावीर बिजलवाण	Ch
2	राजेश S/o पारसनाथ बिजलवाण	राजेश
3	शान्तिराम S/o कमला	Scum
4	रामजी S/o कमला प्रसाद	रामजी
5	कलिराम S/o जगदीश	Kal
6	गोबरधन S/o जगदीश	गोबरधन
7	तोताराम S/o कलिराम	Tot
8	कन्हैया S/o अवधनन्द	कन्हैया
9	गुणानन्द S/o रामेश्वर	गुणानन्द
10	रामकृष्ण S/o पुरुषोत्तम	रामकृष्ण
11	शम्भोप्रसाद S/o रामेश्वर	शम्भोप्रसाद
12	राजेश S/o सुन्दर लाल	Raj
13	गयाप्रसाद S/o ऋषिराम	गया प्रसाद
14	महिमानन्द S/o ऋषिराम	महिमानन्द
15	मुरलीधर S/o जगदीश	मुरलीधर
16	कैलाश S/o सारदानन्द	Kailash
17	सूर्यमणि S/o इन्द्रदेव	Surya
18	लीलानन्द S/o विद्यासागर	लीलानन्द
19	पूर्णानन्द नौटियाल S/o स्व. राजेन्द्र	P
20	राजाराम दिलवाण S/o स्व. श्री जगदीश	राजाराम
21	प्रकाश बिजलवाण S/o बृतेश्वर	Prakas
22	कमल S/o लक्ष्मीकान्त भट्ट	कमल
23	विनोद नौटियाल S/o पूर्णानन्द	विनोद
24	गंगाराम S/o स्व. कुलानन्द मिश्रा	गंगाराम
25	राकेश मिश्रा S/o धनीराम	Rakesh
26	रामप्रकाश नौटियाल S/o उंकार	रामप्रकाश
27	सुनील नौटियाल S/o हर्षमणि	Sunil
28	सुभाष नौटियाल S/o रामचन्द्र	Subh
29	सर्वेश नौटियाल S/o प्रकाश	Sa
30	मुरारी नौटियाल S/o जगदीश	Mur

प्रधान

ग्राम प्रधान

प्रारुप–30.2

परियोजना का नाम :– **राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड के खण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग का निर्माण कार्य 4.75 किमी0 (लम्बाई) निर्माण हेतु 1.525 हे0 आरक्षित वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।**

कार्यालय उप जिलाधिकारी, डुण्डा
अनुसूचित जनजाति और परम्परागत वनवासी अधिनियम 2006 के तहत प्रमाण–पत्र
उपखण्ड स्तरीय समिति चिन्यालीसौड़

उपखण्ड **चिन्यालीसौड़** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम खाण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (1.525 हे0)** आरक्षित वन भूमि, ~~—~~ हे0 सिविल एवं सोयम वन भूमि ~~......~~हे0 वन पंचायत भूमि, अर्थात कुल **(1.525 हे0 वन भूमि)** का **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु अनूसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वनवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय समिति, **(तहसील चिन्यालीसौड़)** की दिनांक 12/6/2015 को सम्पन्न बैठक की कार्यवाही का विवरणः–

अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की बैठक **श्री बी0 एन0 शुक्ला** उप जिलाधिकारी एवं अध्यक्ष उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति की अध्यक्षता में आयोजित की गयी। बैठक में माननीय सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है।

उप जिलाधिकारी डुण्डा जनपद उत्तरकाशी

1–	**श्री बी0एन0 शुक्ला** उपजिलाधिकारी **डुण्डा**	अध्यक्ष
2–	**श्री आर0बी0 सिहं** उप प्रभागीय वनाधिकारी **धरासू**	सदस्य
3–	**श्री संजय लिगंवाल** सहायक समाज कल्याण अधिकारी **चिन्यालीसौड़**	सदस्य/सचिव
4–	**श्री बिजेन्द्र सिहं रावत** बी0डी0सी0 क्षेत्र **चिन्यालीसौड़**	सदस्य

वन क्षेत्राधिकारी धरासू रेंज राजि उत्तरकाशी वन प्रभाग

15-06

सहायक समाज कल्याण चिन्यालीसौड़ (उत्तरकाशी)

क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़

उपखण्ड सचिव द्वारा माननीय सदस्यों का बैठक में स्वागत करते हुए उप जिलाधिकारी की अनुमति से बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गई। माननीय सदस्यों को अवगत कराया गया कि **ग्राम खाण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग परियोजना हेतु 1.525 हे0** वन भूमि प्रयोक्ता एजेन्सी के पक्ष में हस्तान्तरित किये जाने हेतु प्रस्ताव माननीय सदस्यों के समक्ष रखा गया। ग्राम सभा के अन्तर्गत वनाधिकार का कोई मामला लम्बित नहीं है। उक्त भूमि का संबंधित ग्राम सभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित प्रस्ताव के आधार पर सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रत्यावर्तन की अनुशंसा की गई है।

संबंधित उप प्रभागीय वनाधिकारी, **धरासू** द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 एवं तत्सम्बंधी नियम 2008 के प्राविधान को स्पष्ट करते हुए जानकारी से माननीय सदस्यों को अवगत कराया कि वन अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत किसी भी दावेदार का दावा/आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। इस संबंध में ग्राम सभा/पंचायत द्वारा अनापत्ति जारी की जा चुकी है। अतः प्रकरण में उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति द्वारा अनापत्ति जारी की जा सकती है।

बैठक में सर्वसम्मति से उपखण्ड **चिन्यालीसौड़** परिक्षेत्र के अन्तर्गत **ग्राम खाण्डगांव से रौंतल मोटर मार्ग** परियोजना के निर्माण हेतु **1.525 हे0** वन भूमि **लोक निर्माण विभाग** प्रयोक्ता एजेन्सी को जनहित में सक्षम प्राधिकारी से अनुमति प्राप्त कर प्रत्यावर्तित किये जाने पर सहमति व्यक्त की गयी।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **चिन्यालीसौड़**
जनपद उत्तरकाशी

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, ... **उत्तरकाशी** .... को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उप जिलाधिकारी/अक्ष्यक्ष
उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति
तहसील– **चिन्यालीसौड़**
जनपद उत्तरकाशी

कार्यालय उप जिलाधिकारी डुण्डा (उत्तरकाशी)

उप खण्ड स्तरीय समिति, चिन्यालीसौड़ उत्तरकाशी।

आज दिनांक 12/6/2014 को चिन्यालीसौड़ से ग्राम खाण्ड गांव से रौंतल मोटर नार्ग के भूमि हस्तान्तरण के सम्बन्ध में वन अधिनिय 2006 एवं नियम 2008 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड स्तरीय वन अधिकारी समिति की बैठक उप जिलाधिकारी डुण्डा की अध्यक्षता में हुयी मान्य सदस्यों की उपस्थिति निम्नानुसार है :—

क्र. स.	अधिकारी का नाम	पद नाम	हस्ताक्षर
1	श्री बी0एन0 शुक्ला	उपजिलाधिकारी डुण्डा	उप जिलाधिकारी डुण्डा उत्तरकाशी
2	श्री आर0बी0 सिहं	उप प्रभागीय वनाधिकारी धरासू	वन क्षेत्राधिकारी धरासू वन राजि उत्तरकाशी वन प्रभा
3	संजय लिगंवाल	सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड	15-06-14 सहायक समाज कल्याण अधिकारी चिन्यालीसौड (उत्तरकाशी)
4	श्री बिजेन्द्र सिहं रावत	बी0डी0सी0 क्षेत्र चिन्यालीसौड	प्रमुख क्षेत्र पंचायत चिन्यालीसौड़